झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका सं०3942/2018

बाल किशोर सिंह, उम्र लगभग - 81 वर्ष, पिता - राजा राम सिंह, निवासी - स्वर्गीय रानीबांध, धैया, डाकघर - आई.एस.एम., धनबाद, थाना +जिला - धनबाद, (झारखंड)

..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, धनबाद, ग्राम + डाकघर+थाना + जिला धनबाद, झारखंड
3. अतिरिक्त कलेक्टर, धनबाद, ग्राम + डाकघर+थाना+ जिला धनबाद, झारखंड
4. उप मंडल अधिकारी, धनबाद, ग्राम+ डाकघर+थाना + जिला धनबाद, झारखंड
5. भूमि सुधार उप कलेक्टर, धनबाद, ग्राम + डाकघर+थाना + जिला - धनबाद, झारखंड।
6. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धनबाद, ग्राम+ डाकघर+थाना +जिला- धनबाद, झारखंड
7. अंचल अधिकारी, गोबिंदपुर, ग्राम+ डाकघर+थाना - गोबिंदपुर, जिला- धनबाद, झारखंड

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री बिनोद सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से : श्री जयंत फ्रैंकलिन टोप्पो, सरकारी अधिवक्ता V

श्री ए.आर. किस्कू, स्थायी परामर्शदाता सरकारी अधिवक्ता V से

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें धनबाद के उपायुक्त प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 22.02.2013 को पारित विविध वाद संख्या 49/2011-12 की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत एक साजिश के तहत राजस्व अभिलेखों में जन्मेजय पांडेय पिता गजाधर पांडेय के नाम को दर्ज किया गया था; इसे रद्द करने और प्रतिवादियों को यह

निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया है कि वे बलपूर्वक कब्जा न करें और खाता संख्या 114, रकबा- 0.16 एकड़, ग्राम- पंडुकी, थाना संख्या 90, जिला- धनबाद में स्थित भूमि पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में खलल न डालें। इसके अलावा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 991 दिनांक 21.11.2017 को रद्द करने और अन्य राहत के लिए प्रार्थना की गई है, जिसके तहत खाता संख्या 114 से संबंधित 17.46 एकड़ में से 11.13 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

3. याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि उक्त भूमि के संबंध में मूल खतियान वर्ष 1925 में तैयार किया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त भूमि को जन्मजय पांडेय के कानूनी उत्तराधिकारियों से बिक्री-पत्र संख्या 11994 के माध्यम से खरीदा था। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता अपने द्वारा खरीदी गई भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में है और उसका नाम गोविंदपुर अंचल कार्यालय में म्यूटेशन केस संख्या 32/1972-73 के तहत म्यूटेशन किया गया है और रजिस्टर II को झारखंड सरकार के भूमि, सुधार और राजस्व विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। अगला आरोप यह है कि संबंधित प्राधिकारी के पास याचिकाकर्ता की भूमि को बिना पूर्व सूचना दिए कब्जा करने का कोई निरंकुश अधिकार नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए।

4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील - दूसरी ओर राज्य ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता के पास जनमेजय पांडे का नाम रद्द करने को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, जो निश्चित रूप से अब भूमि के कब्जे में नहीं है; और भी अधिक इसलिए क्योंकि यद्यपि उसे कई बार नोटिस जारी किया गया था, फिर भी जनमेजय पांडे की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और जांच के दौरान पाया गया कि जनमेजय पांडे अब भूमि के कब्जे में नहीं है, इसलिए उसका नाम रद्द कर दिया गया है, इसे साजिश के आधार पर दर्ज किया गया है। यह भी कहा गया है कि अधिसूचना संख्या 991 दिनांक 21.11.2017 से संबंधित नोटिस का संबंध याचिकाकर्ता के

स्वामित्व वाली भूमि से नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के पास उक्त अधिसूचना को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस बात की कोई आशंका व्यक्त नहीं की गई है कि प्रतिवादी-राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से जबरन कब्ज़ा क्यों करेगा और कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अंत में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह की आशंका का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना और बिना किसी तर्क या कारण या यहां तक कि योग्यता के बिना दायर की गई यह रिट याचिका खारिज की जाए।

5. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि, जहां तक प्रतिवादी संख्या 2, जो धनबाद के उपायुक्त हैं, द्वारा 22.02.2013 को पारित विविध वाद संख्या 49/2011-12 को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की पहली प्रार्थना का संबंध है, निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता उस मामले में पक्षकार नहीं है। याचिकाकर्ता उस आदेश से व्यथित नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके द्वारा खरीदी गई भूमि का उसके नाम पर म्यूटेशन हो चुका है, जो अभी भी रजिस्टर-II में उसके नाम पर जारी है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह भू-राजस्व का भुगतान करता रहा है और भू-राजस्व के भुगतान में कोई बाधा नहीं है और याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र भी उसके पक्ष में जारी किया गया है और सर्वेक्षण खतियान भी उसके पक्ष में तैयार किया गया है।

6. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादी संख्या 2, उपायुक्त, धनबाद द्वारा 22.02.2013 को पारित विविध वाद संख्या 49/2011-12 को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

7. जहाँ तक दूसरी प्रार्थना का सवाल है, जिसमें प्रतिवादियों को जबरन कब्जा न करने और खाता संख्या 114, क्षेत्रफल- 0.16 एकड़, ग्राम- पंडुकी, थाना संख्या 90, जिला- धनबाद स्थित भूमि पर याचिकाकर्ता के

शांतिपूर्ण कब्जे को बाधित न करने का निर्देश देने की बात है, यदि याचिकाकर्ता के पास अधिकार, स्वामित्व और हित है, तो वह उचित उपाय के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। रिट याचिका में कहीं भी इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि प्रतिवादी-राज्य याचिकाकर्ता को उसके द्वारा कब्जा की गई भूमि से जबरन बेदखल कर देगा। इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि याचिकाकर्ता की इस प्रार्थना को स्वीकार करने का कोई उचित कारण नहीं है।

8. जहां तक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धनबाद द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 991 दिनांक 21.11.2017 को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का संबंध है, जैसा कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि यह कहीं भी याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाले प्लॉट संख्या 315 वाली भूमि से संबंधित नहीं है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई किसी भी प्रार्थना को स्वीकार करने का कोई उचित कारण नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है।

10. तदनुसार, यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांकित 07 मार्च, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।